

**मै0 सिद्धबली माइन्स एण्ड मिनरल्स, द्वारा मैठरा सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम-मैठरा, तहसील-काण्डा, जनपद- बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 12.06.2023 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।**

मै0 सिद्धबली माइन्स एण्ड मिनरल्स, द्वारा मैठरा सोपस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम-मैठरा, तहसील व जनपद- बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (2.991 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया के दि0 04.05.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दि0 12.06.2023 को परियोजना स्थल, के समीप ग्राम-चौरा (पुस्तकालय भवन) जिला-बागेश्वर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।



लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स इको पर्यावरण लैबोरेट्रीज एण्ड कंसल्टेन्ट प्रा0लि0 के डा0 पीयूष गौरव द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम-मैठरा तहसील व जिला-बागेश्वर है तथा इसका खनन क्षेत्रफल 2.991 है0 है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 14.09.2006 एवं यथासंशोधित के अनुसार यह प्रस्तावित खनन परियोजना वर्ग (बी) में वर्गीकृत की गयी है। खनन ओपनकास्ट मैकेनाइस्ड पद्यति का उपयोग करके किया जायेगा। जिसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग शामिल नहीं है। खडिया खनन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव क्षेत्र के जीव जनतुओं व पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा। खडिया के खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उचित पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तावित की गयी है। पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम में जाँच परिणामों की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुये पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन के लिए टीम का गठन किया जायेगा तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा धूल नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा रखरखाव व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि

प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये हैं। विश्लेषण आख्यायें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप है प्रस्तावित खनन से स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, परियोजना क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री गुमान सिंह घपोला ग्राम-चौरा, तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री घपोला द्वारा जिलाधिकारी महोदया तथा अन्य उपस्थित सभी लोगो का स्वागत करते हुये कहा गया कि स्थानीय लोगों द्वारा खडिया खनन किया जा रहा है, जो एक अच्छा काम है। गांव में स्थित सड़क डामरीकरण न होने के कारण धूल आती है, चौरा गांव की सड़क का डामरीकरण किया जाना चाहिए तथा पुस्तकालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा पुस्तकालय हेतु पुस्तकों तथा सड़क के डामरीकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने को कहा गया।
2. श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला ग्राम-मैठरा तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री रौतेला द्वारा कहा गया कि जनसुनवाई मैठरा गांव में होनी चाहिए। गांव में तीन खडिया खानें संचालित हैं, गांव छोटा है लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में खनन हो रहा है। 30 प्रतिशत में आवाशीय मकान है। क्षेत्र में नीचे खनन होने से उपर स्थित घरों में दरारे आ चुकी है। प्रस्तावित परियोजना में खनन होने से पूर्व भवनों की व्यवस्था की जानी चाहियें तथा जिलाधिकारी महोदया से गांव का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु अनुरोध किया गया। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये गये।
3. श्री जगदीश सिंह रौतेला, ग्राम-मैठरा तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री रौतेला कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से भूस्खलन तथा लीज क्षेत्र से घर नीचे आ जाएंगे। मकानों में पूर्व से दरारे हैं, घरों में आई दरारों के संबंध में जाँच किये जाने का आग्रह किया गया तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा गांव में सुनवाई के संबंध में पृच्छा की गयी, जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में कोई सार्वजनिक भवन स्थित नहीं है तथा मैसम विभाग द्वारा बरसात को पूर्वानुमान जारी किया गया था, जिसके दृष्टिगत रखते हुये लोकसुनवाई प्रस्तावित क्षेत्र के नजदीक रखी गयी है तथा पूर्व में भी उक्त क्षेत्र में स्वीकृत माईनों की लोकसुनवाई भी इसी जगह में की गयी है।
4. कुमारी सजिया रौतेला ग्राम- मैठरा तहसील व जिला-बागेश्वर- कुमारी सजिया रौतेला द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों तथा नव युवकों के लिये रोजगार के आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये।
5. श्री सुन्दर सिंह रौतेला (प्रस्तावक प्रतिनिधि) ग्राम- मैठरा तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री रौतेला द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुये बताया कि लोगो की आपत्तियों का संज्ञान लिया जायेगा। सभी लोगों की सहमति के उपरान्त खनन किया जायेगा तथा स्थानीय लोगों की रोजगार तथा समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जायेगा। उपरोक्त क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा उपस्थित




लोगो को अवगत कराया कि पहाड़ों में पशुपालन, कृषि कार्य आदि को प्रोत्साहन किया जा सकता है। स्थानीय लोगों द्वारा संदर्भित योजना हो तो सरकार उसका सहयोग करेगी। खडिया खनन का जनपद में संभावनाएँ हैं तथा स्थानीय लोगों द्वारा वर्तमान में खडिया खनन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्थलीय लोगो की रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

6. श्री मोहन सिंह रौतेला ग्राम-मैदरा तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री रौतेला द्वारा अवगत कराया गया कि मैठरा गांव की जमीन खिसकने वाली है। यहा मिट्टी की पकड़ ढीली है तथा गांव में दरारे पूर्व से आ चुकी है। इनका समाधान किया जाना चाहिये।
7. श्री उमेद सिंह कालाकोटी (पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य) तहसील व जिला-बागेश्वर- श्री कालाकोटी द्वारा कहा गया की इय क्षेत्र में दस किलोमीटर के परिक्षेत्र में लगभग 40 खडिया खानें संचालित है। स्थानीय लोगो तथा क्षेत्र को इनका लाभ नहीं मिल रहा है। क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था लचर है पट्टा धारकों से स्मार्ट क्लास तथा अतिरिक्त अध्यापको की व्यवस्था की अपेक्षा की गयी तथा पर्यावरण के संबंध में अवगत कराते हुये कहा गया कि बरसात के महिनो में नदी लाल हो जाती है, इस संबंध में पट्टा धारकों को मलूवा नदी में न डालने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिये। धूल आदि हेतु नियमित पानी का छिडकाव किया जाना चाहिये।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

  
(हरीश चन्द्र जोशी)  
सहायक जिला अधिकारी  
उपनिर्देशक बोर्ड हल्द्वानी।

  
(अनुराधा प्राल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर।